सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : छींतोली, कैम्प दिनांक 21.06.2018

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या : 53 / 2017 दायर तारीख : 02.06.2017

1. गैंदालाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर

—— प्रार्थी / प्रतिवादी सं॰ 4

<u>बनाम</u>

1. दाताराम पुत्र गोपाल (फौत)
   1/1. रामावतार } पुत्रान दाताराम
   1/2. हंसराज
   1/3. गीता पुत्र दाताराम
   1/4. लाडा पत्नी दाताराम
2. उमराव } पुत्र घींसा
3. भम्भू

(1 से 3) } जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जयपुर

—— अप्रार्थीगण

5. फूली देवी पत्नी नारायण
6. ओमप्रकाश } पुत्रान नारायण
7. धर्मराज
8. कमली } पुत्रियां नारायण
9. मिश्री
10. सूसा
11. शिमला

(5 से 11) } जाति गुर्जर निवासी भोजपुरा उर्फ लाखावाला तहसील विराटनगर

<u>—— तरतीबी अप्रार्थीगण</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित 151 सी.पी.सी. विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2016 उनवानी वाद दाताराम बनाम उमराव वगैरह वाद संख्या 34 / 2016

उपस्थित : – श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय प्रार्थना पत्र

निर्णय दिनांक :– 21.06.2018

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 धारा 151 का निर्णय किया जा रहा है।

2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी, तरतीबी अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के विरूद्ध दिनांक 02.05.2016 को वाद बाबत तरमीम किये जाने नक्शा एवं सीमा निर्धारण एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 136 राज॰लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 188 रा॰टी॰एक्ट पेश किया, उक्त वाद में प्रतिवादीगण की तलबी किये जाने की आज्ञा देते हुए तारीख पेशी 18.05.2016 नियत की गई, जबकि पत्रावली पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाने का कोई अंकन नहीं है। न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 18.05.2016 को किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया, अपितु उक्त पत्रावली दिनांक 20.06.2016 को बिना प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को कैम्प छींतोली राजस्व लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किये मनमाने रूप से सुनवाई में ली गई। प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त कैम्प में बिना सुनवाई का अवसर दिये उनकी उपस्थिति का उल्लेख करते हुए दिनांक 06.07.2016 नियत कर दी गई। न्यायालय द्वारा दिनांक 19.07.2016 को प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये ही निर्णय व डिक्री पारित की है, जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है। तथाकथित पत्रावली पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को सूचना सम्मन/नोटिस जारी किये जाने एवं सुनवाई का अवसर देने बाबत कोई साक्ष्य नहीं है। यदि प्रार्थी अथवा तरतीबी अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए होते तो उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाया जाना अपेक्षित था, लेकिन इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। यदि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण कभी न्यायालय में उपस्थित आये होते तो इस बाबत आदेशिका पत्रावली में उनके हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी करवाया जाना भी अनिवार्य था। यह भी कि न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के अनुसार भी पक्षकारों के खिलाफ किसी प्रकार का कोई निर्णय अथवा डिक्री बिना उन्हें सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिये पारित किया जाना विधि सम्मत उचित नहीं होता है। इसके बावजूद प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित करने में न्यायालय ने अहम कानूनन गलत की है, इस कारण प्रश्नगत निर्णय एवं डिक्री अपास्त फरमाये जाने योग्य है। अतः निवेदन है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि प्रार्थना पत्र बाबत मन्सूखी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2016 बमुकदमे संख्या 34/2016 उनवानी दाताराम बनाम उमराव मन्सूख फरमायी जाकर प्रार्थी को सम्पूर्ण जवाबदेही, साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

3. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
4. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल निर्णय व डिक्री दिनांक 19.07.2016, नकल आदेशिका आदि पेश किये।
5. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में पेश हुआ, मजमे आम सुनवाई की गई तथा उपस्थित पक्षकारान को सुना गया।

   प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

   अप्रार्थी की निवेदन कि प्रार्थी को दावा मुकदमा नम्बर 34/2016 निर्णय दिनांक 19.07.2016 की पूर्ण जानकारी रही है। प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प दिनांक 20.06.2016 में मजमे आम पेश होकर सुना गया है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

   पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने दावा उनवानी दाताराम बनाम उमराव वगैरह मुकदमा नम्बर 34/2016 पेश किया, जिसमें प्रार्थी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया था। प्रार्थी/प्रतिवादीगण की तलबी जारी होकर प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट छींतोली में मजमे आम पेश हुआ है तथा प्रार्थी भी ग्राम छींतोली का ही निवासी है। महज प्रार्थी के कथन कर देने से एकपक्षीय डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती है। जहां तक प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रश्न है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है, इसके संबंध में DNJ 2008 (2) में स्पष्ट उल्लेखित है कि '' सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 9 नियम 13 परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 123 एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना–एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दायर किये जाने के लिए 30 दिनों की अवधि, डिक्री की तिथि से लागू होगी–जहां तक कि जानकारी की तिथि का प्रश्न है वह, वही सुसंगत है, हो–इस मामले में आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन, परिसीमा अवधि बीतने के पश्चात बिना देरी की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

क्षमा के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के दायर किया गया–निर्णित, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के अभाव में देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। यह भी कि प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत वाद संख्या 34/2016 की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में प्रस्तुत कर रखी है तथा वाद मूल पत्रावली इस न्यायालय के पत्रांक : कोर्ट/2017/579 दिनांक 21.07.2017 द्वारा माननीय न्यायालय को भिजवायी जा चुकी है। मूल पत्रावली अभाव तथा अपील विचाराधीन होने से हस्तगत प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहता है।

6. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ प्रश्नगत वाद संख्या 34/2016 उनवानी दाताराम बनाम उमराव वगैरह मे दिनांक 19.07.2016 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त/मन्सूख किया जाना उचित नहीं है।

आदेश

प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत मन्सूखी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.07.2016 बमुकदमे संख्या 34/2016 उनवानी दाताराम बनाम उमराव वगैरह अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय दिनांक 21.06.2018 को मजमे आम कैम्प कोर्ट छींतोली में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर